23/11/17	यह वाद वादी की ओर से (ASO) श्री विनोद शंकर अग्रवाल ने अन्तर्गत धारा 99, 98, 100 R.T. Act के तहत पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर हो तलबी प्रतिवादीगणों की जारी होकर दिनांक 23/01/17 को पेश हो	
23/01/17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। [illegible] तक नोटिस मय रिपोर्ट पेश नहीं। पत्रावली दिनांक 17/12/17 को पेश हो	
18/12/17	पत्रावली पेश हुई दिनांक 17/12/17 को अवकाश होने पर पत्रावली आज पेश हुई अनुपालन पत्रावली दिनांक 19/2/18 को पेश हो	
19/2/18	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार [illegible] की गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 20/4/18 को पेश हो।	
25/5/18	पत्रावली आज दिनांक को कैम्प न्याय आपके द्वार मेवर में प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष उप0। हस्ताक्षर नहीं किये। उभय पक्षों की सुनवाई लोक अदालत	

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय लालाराम बनाम कपोड़

केस संख्या 157/17

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		की भावना से की गई। प्रतिवादी कपोड़ का कथन है कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में दो बार करवाया गया हमारी कुछ जमीन परवादी ने कब्जा कर रखा है। हटवाया जावे। वादी लालाराम का कथन है कि हमारे पूर्वजों के समय से ही हम अपनी भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं। हमने किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं कर रखा है। उभय पक्षों को सुना गया लोक अदालत की भावना से से समझाया गया। विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि का पुनः सीमाज्ञान करें। यदि सीमाज्ञान कर भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हटाने की कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करें। पत्रावली जेरे हाल भुगता होकर नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय मजमे-आम में खुले-आम सुनाया गया।	